न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 07/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. नेमीचन्द गुप्ता पुत्र बन्द्रीप्रसाद उम्र 62 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, पार्टनर एवं विक्रेता) मैसर्स श्री गणेश ट्रेडिंग कम्पनी मीराना चौराहा बयाना जिला भरतपुर निवासी मीराना तिराया बयाना।
2. रामप्रकाश (पार्टनर) मैसर्स श्री गणेश ट्रेडिग कम्पनी, मीराना चौराहा, बयाना जिला भरतपुर।
3. मैसर्स श्री गणेश ट्रेडिंग कम्पनी, मीराना चौराहा बयाना जिला भरतपुर

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी (प्रतिनिधि)
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 12.07.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 01.02.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के प्रतिनिधि उपस्थित। नियत दिनांक 12.07.2021 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया

निर्णयन अधिकारी
रिक्त जिला मजिस्ट्रेट
तपुर (राज.)

गया कि दिनांक 20.08.2020 को दोपहर बाद 01.00 बजे गैरसायल की फर्म गणेश ट्रेडिग कम्पनी मीराना चौराहा बयाना का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त फर्म पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु प्लास्टिक के चार बैग 25 मूल सील्ड पैक के हिसाब से कुल 100 मूल सील्ड पैक सौफ (निहिर ब्राण्ड) 1 किग्रा0 बजनी पैकिग रखे हुये पाये गये। जिनमें मिलावट/मिथ्याछाप का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/415/एक्ट/2020/486 दिनांक 02.09.2020 द्वारा उक्त सौफ (मिहिर ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (**Misbranded Food**) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा मिथ्याछात (**Misbranded Food**) प्रकृति के सौफ (मिहिर ब्राण्ड) का विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स गणेश ट्रेडिग कम्पनी, मीराना चौराहा बयाना से सौफ (मिहिर ब्राण्ड) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक (**Misbranded Food**) स्तर का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त सौफ (मिहिर ब्राण्ड) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त सौफ (मिहिर ब्राण्ड) को जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैर सायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैर सायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रमि नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। दिनांक 20.08.2020 को दोपहर बाद 01.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु सौफ (मिहिर ब्राण्ड) करीब 100 मूल सील्ड पैक 1 किग्रा0 बजनी के रखे हुये पाये गये। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/415/एक्ट/2020/486 दिनांक 02.09.2020 द्वारा उक्त सौफ (मिहिर ब्राण्ड) का

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

नमूना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5000/—रूपये (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)